(12)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 162 / 2021
ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मक्खनलाल यादव, बणी मौहल्ला, वार्ड नं0 3, मु0पो0 शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 13.09.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 162 / 2021 पर दिनांक 24.08.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 2644–45 दिनांक 24.08.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4) (5)न्याय / सू0अ0 / 20 / 1713 दिनांक 25.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर जबाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मक्खनलाल यादव, बणी मौहल्ला, वार्ड नं0 3, मु0पो0 शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 07.07.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4) (5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 232 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेतडी को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया। उपखण्ड अधिकारी खेतडी ने अपने पत्र कमांक 417–418 दिनांक 22.07.2021 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना स्पष्ट विषयवस्तु एवं पूर्ण जानकारी के अभाव मे उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4) (5)न्याय / सू0अ0 / 20
8. / 1713 दिनांक 25.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर जबाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मक्खनलाल यादव, बणी मौहल्ला, वार्ड नं0 3, मु0पो0 शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 07.07.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4) (5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 232 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेतडी को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया। उपखण्ड अधिकारी खेतडी ने अपने पत्र कमांक 417–418 दिनांक 22.07.2021 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना स्पष्ट विषयवस्तु एवं पूर्ण जानकारी के अभाव मे उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अतः अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, खेतडी को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को नोटिस जारी कर स्पष्ट सूचना का उल्लेख करने हेतु लिखा जावे। आवेदन प्राप्त होने पर अपीलार्थी को नियमानुसार निर्धारित अवधि मे सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं